फा.सं. 7/30/2011-ई.III.ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों के संशोधन के परिणामस्वरूप अर्हता वेतन की दर को 60/- रुपए से बढ़ाकर 120/- रुपए प्रतिमाह किया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में लेखापरीक्षकों/लेखाकारों तथा कतिपय अन्य संगठित लेखा संवर्गों और रेलवे लेखा विभाग में लिपिक ग्रेड-2 के लिए अर्हता वेतन की 60/- रुपए प्रतिमाह की दर के संबंध में इस मंत्रालय के 05 अगस्त, 1999 के कार्यालय ज्ञापन सं.9(7)-ई.III(ए)/98 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है । छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों में संशोधन के परिणामस्वरूप इस अर्हता वेतन की दर में संशोधन से संबंधित मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । अब राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियमावली, 2008 के अंतर्गत उस तारीख से जो संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के लिए चुनी जाए, अर्हता वेतन की दर 60/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 120/- रुपए प्रतिमाह की जाती है ।

2. अर्हता वेतन को अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए वेतन के भाग के रूप में माना जाता रहेगा ।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

मानब रे

(मानब रे)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली ।
3. महालेखानियंत्रक ।
4. दूर संचार विभाग ।
5. डाक विभाग ।
6. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ।
7. गार्ड फाइल ।
8. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाए ।

\\everyday documents\E.III(A)\I